बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
संकल्प

संख्या : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/479/पं०रा०, पटना, दिनांक 15/01/2024

विषय : षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय–8 की कंडिका– 8.31 (1) (ii) अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित किये जाने एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने के संबंध में।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच के दायित्वों में वृद्धि हुई है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच को निम्नांकित सारणी में उल्लिखित दर से समेकित नियत (मासिक) भत्ता का प्रावधान किया गया है :–

सारणी

क्र०	नाम	नियत (मासिक) भत्ता (रु० में)
1	2	3
1	ग्राम पंचायत मुखिया	₹ 2500.00
2	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	₹ 1200.00
3	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य)	₹ 500.00
4	ग्राम कचहरी सरपंच	₹ 2500.00
5	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	₹ 1200.00
6	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	₹ 500.00

3. उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय–8 की कंडिका–8.31 में सामान्य निधि से व्यय के संबंध में निम्नवत् प्रावधान किये गये

है, जिसे वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया है :–

8.31 (1) (ii) Establishment and administrative expenditure such as
(a) Payment of salary/wages/remuneration of employees
(b) Office expenses,
(c) Furniture and stationery.

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत भत्ता का भुगतान प्रशासनिक व्यय की श्रेणी में आता है।

4. बढ़ी हुई मँहगाई/मुद्रास्फीति को दृष्टिपथ में रखते हुए समीक्षोपरांत दिनांक 08.01.2024 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या–21 में निम्न पर स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत (मासिक) भत्ता के भुगतान हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग के Establishment एवं administrative expenditure के मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत भत्ता को सम्मिलित किया जाता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से निम्न सारणी के अनुरूप वृद्धि किया जाता है :–

सारणी

क्र०	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों का पदनाम	संख्या	वर्त्तमान नियत (मासिक) भत्ता	प्रस्तावित नियत (मासिक) भत्ता	प्रतिमाह व्यय भार (कॉलम–3×कॉलम–5)	वार्षिक व्यय भार (कॉलम–6 ×12)
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत मुखिया	8053	₹ 2,500.00	₹ 5,000.00	₹ 40,265,000.00	**₹ 483,180,000.00**
2	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	8053	₹ 1,200.00	₹ 2,500.00	₹ 20,132,500.00	**₹ 241,590,000.00**
3	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य)	109321-8053=101268	₹ 500.00	₹ 800.00	₹ 81,014,400.00	**₹ 972,172,800.00**
4	ग्राम कचहरी सरपंच	8053	₹ 2,500.00	₹ 5,000.00	₹ 40,265,000.00	**₹ 483,180,000.00**
5	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	8053	₹ 1,200.00	₹ 2,500.00	₹ 20,132,500.00	**₹ 241,590,000.00**
6	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	109321-8053=101268	₹ 500.00	₹ 800.00	₹ 81,014,400.00	**₹ 972,172,800.00**
कुल					**₹ 282,823,800.00**	**₹ 3,393,885,600.00**
कुल वार्षिक व्यय : तीन अरब उनचालीस करोड़ अड़तीस लाख पिचासी हजार छह सौ रूपये मात्र						

6. उक्त के आलोक में ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/पंच के नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत निम्नांकित बजट शीर्षों में प्रावधानित राशि से दिनांक 01.04.2024 से किया जायेगा :–

(i) **<u>ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिधियों के लिए–</u>**

(क) "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विषय शीर्ष 0009.31.04–सहायक अनुदान–वेतन।"

विपत्र कोड 16–2515001980009

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.1.24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/979/पं०रा०, पटना , दिनांक 15/01/2024
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/979/पं०रा०, पटना , दिनांक 15/01/2024
प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/479/पं०रा०, पटना , दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

15/1/24

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/479/पं०रा०, पटना , दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

15/1/24

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/479/पं०रा०, पटना , दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

15/1/24

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव